

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

क्रमांक :- रा0लो0अ0-18/केम्प/18/

4136

दिनांक :-

15-8-18


तहसीलदार,
टोंक।

विषय :- प्रकरण संख्या 67/2018 में जारी आदेशों की पालना में पत्थर गढ़ी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी ने न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत ग्राम पंचायत लवादर में आयोजित राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट में उपस्थित होकर आवेदन पत्र में अंकित निम्न वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु निवेदन किया गया था। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आपको आदेशित किया जाता है कि निम्न वर्णित भूमि :-

आवेदक का नाम व पता	आवेदित भूमि का विवरण	विशेष विवरण
अर्जुनलाल पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी ग्राम निरबाना तहसील टोंक।	ग्राम निरबाना पटवार हल्का निरबाना की जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 171 की भूमि आराजी ख.न. 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख.न. 280 रकबा 1 बिस्वा, ख.न. 717 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 836 रकबा 14 बिस्वा, ख.न. 993 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, ख.न. 1022 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख.न. 1040 रकबा 1 बिस्वा, ख. न. 1041 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा एवं ख.न. 1050 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 2 बिस्वा।	मौके पर प्रार्थी/वादी का कब्जा, काशत हो एवं किसी न्यायालय से स्थगन ना हो तो पत्थरगढ़ी कर पालना से अवगत करावे।

निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करावे।


उपखण्ड अधिकारी टोंक
(राज०)